

छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक १५ / 09 / 2024

क्रमांक एफ 8-6/2024/19/वि.जां.: राज्य शासन, एतद्वारा, श्री ए.के. चौहान, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग, राजनांदगांव द्वारा जिला राजनांदगांव में माननीय प्रभारी मंत्री (मान. उप मुख्य मंत्री) महोदय जी द्वारा दिनांक 02.09.2024 को आयोजित जिले के समस्त विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक में, अनुपस्थित रहकर, अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के कारण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये उनका मुख्यालय, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित किया जाता है।

2/ श्री ए.के. चौहान, कार्यपालन अभियंता, लोनिवि को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ते की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,


(के.एम. अग्रवाल)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक निर्माण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 8-06/2024/19/वि.जां.,
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 / 09 / 2024

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लो.नि.वि. मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर कृपया श्री ए.के. चौहान, कार्यपालन अभियंता, लोनिवि लोनिवि के विरुद्ध आरोप पत्रादि तैयार कर, शासन को 15 दिवस में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर परिक्षेत्र रायपुर,
5. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर मंडल रायपुर,
6. श्री ए.के. चौहान, कार्यपालन अभियंता लोनिवि संभाग राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आर्डर बुक हेतु।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक निर्माण विभाग